पत्रांक– बि0प्र0सु0मि0सो0 / BRPGRA(बैठक)–03 / 2016(खंड) सो0...1621.....
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
(सामान्य प्रशासन विभाग)

प्रेषक,

**डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गंगवार**
प्रधान सचिव–सह–मिशन निदेशक

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी**

पटना, दिनांक– 28/12/2016

**विषय :– अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के लिए भाड़े पर वाहन की व्यवस्था के संबंध में ।**

महाशय,

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अनुमंडल स्तर पर अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों की पदस्थापना की गई है । अधिनियम के अंतर्गत अपील सुनवाई के मामलों में प्रथम अथवा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारों (यथास्थिति) के कार्यालय में इनकी उपस्थिति तथा परिवाद के निवारण की दिशा में अपेक्षित किसी अन्य कार्रवाई के दृष्टिगत अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों के लिए वाहन की व्यवस्था किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

2– इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त किये गये परामर्श में वित्त विभागीय दो परिपत्रों का संदर्भ दिया गया है । वित्त विभागीय पत्रांक–6460, दिनांक–18.06.2012 में प्रावधानित है कि यदि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम में गाड़ी उपलब्ध न हो तो उनसे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही अन्य एजेंसियों से गाड़ी नियमानुसार बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 की निविदा प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये निगम के द्वारा निर्धारित दर के अंतर्गत ली जाय । उक्त परिपत्र की कंडिका–(ii) में प्रावधानित है कि पटना से बाहर स्थित कार्यालय के लिये बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के अंतर्गत निर्धारित दर के अंतर्गत निविदा प्रक्रिया के पालन कर भाड़े पर गाड़ी लिये जाने की छूट रहेगी । वित्त विभागीय पत्रांक–15698, दिनांक–06.11.2012 में प्रावधानित है कि यदि निविदा के माध्यम से प्रशासी विभाग को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा प्राप्त कराई जा रही दर से कम दर पर वाहन प्राइवेट एजेंसी से उपलब्ध हो जाता है तो ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है ।

3– अतः अनुरोध है कि वित्त विभागीय परामर्श के अनुरूप निविदा प्रक्रिया का पालन कर सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को भाड़े पर एक–एक Non A.C. चार पहिया वाहन (यथा–Bolero/Sumo आदि) मासिक आधार पर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए । इस पर होने वाले व्यय का वहन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले सहायक अनुदान विषय शीर्ष–3106 'वेतनादि के अलावा मद' से किया जायेगा । इसके लिए संबंधित विषय शीर्ष में अलग से अधियाचना भी मिशन कार्यालय को भेजी जाए ताकि निधि विमुक्त की जा सके ।

4– कृपया उपर्युक्त से सभी जिला एवं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को भी अवगत कराया जाए ।

विश्वासभाजन

(डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
प्रधान सचिव–सह–मिशन निदेशक

ज्ञापांक–बि0प्र0सु0मि0सो0 / BRPGRA(बैठक)–03 / 2016(खंड) सो0 1621 दिनांक 28/12/2016
प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रधान सचिव–सह–मिशन निदेशक

D:\N-sanjay\M.D..docx